(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

अनुषंगी उद्योग के लिए नीति

*319 **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुषंगी उद्योग के लिए कोई नीति तैयार की है यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रकार की नीति बनाने का विचार रखती है जिसके अनुसार भारी उद्योगो को अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं प्रथमत: लघु और मध्यम उद्योगो से ही खरीदनी चाहिए तथा उन वस्तुओ के निर्माण में भी उनकी सहायता करनी चाहिए ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एक विवरण सदन सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

तथापि इस संबंध में सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा पहले से ही मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यम को उन सभी वस्तुओ का पता लगाना चाहिए जिनका उत्पादन अनुषंगी/लघु उद्योगों में किया जा सकता हैं और इन्हें सभी प्रकार की सहायता प्रदान करनी चाहिए जिनमें जहां कहीं संभव हो तकनीकी मार्ग-दर्शन, जिगों, औजारों और फिक्सचरो की आपूर्ति आयातित और दुर्लभ कच्चे माल में सहायता प्रशिक्षण सुविधाएं आदि शामिल हैं ।

विवरण

जहां कहीं सम्भव हो बड़े उद्योगो द्वारा अनुषंगी एकक स्थापित करने के लिए बढ़ावा देना सरकार की नीति है । इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) देश में अनुषंगी एकको के विकास की देख भाल करने के लिए विकास आयुक्त लघु उद्योग के कार्यालय में एक अलग अनुषंगी प्रभाग स्थापित किया गया है ।

(2) परिभाषा के भाग के रुप में लघु अनुषंगी एककी की पूंजी निवेश सीमा को बढ़ाने में एक विशेष रियायत दी गई है । यह सीमा अनुषंगी एककी के. मामले में 45 लाख रु० है जबकि अन्य लघु एककी के मामले में 23 लाख रु० है ।

(3) राज्यो के उद्योग निदेशको के पास 35 लाख रु० से 45 लाख रु० के बीच निवेश वाले अनुषंगी एककी के पंजीकरण के लिए एक अलग पद्धति प्रारम्भ की गई है ।

(4) बड़े मझौले और लघु उद्योगों के बीच सम्पर्क के बढ़ाने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत देश में 16 उप-सम्पर्क केन्द्रो के नेटवर्क स्थापित किए गए हैं ।

(5) अनुषंगी एककी के विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्रीय सरकार के उद्यमो को सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा मार्ग-दर्शी-सिद्धान्त जारी किए गए हैं ।

(6) हाल ही में सरकार ने तकनीकी विकास महानिदेशालय और विकास आयुक्त (लघु उद्योग) जैसे तकनीकी प्राधिकरण द्वारा आद्यगिक लाइसेंस आवेदनो की संवीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया है ताकि अनुषंगीकरण के क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और उनकी सिफारिशो के अनुसार आशय-पत्र में इस आशय की एक शर्त का समावेश किया जा सके कि "अनुषगीकरण कार्यक्रम के क्षेत्रों की सम्भावनाओ का पता लगाने के लिए सरकार की संतुष्टी के नुसार कार्रवाई की जाएगी आवेदक द्वारा नुषंगीकरण कार्यक्रम को सरकार की संतुष्टि के अनुसार अन्तिम रुप देने के पश्चात आशयपत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किया जा सकता है ।